



कार्यालय-मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण,

32 सिविल लाईन, मथुरा ।

सम्पर्क : (0565) 2471553, 2470360, 2471090

पंजीकरण पुस्तिका

रुकमणी विहार, कैलाश नगर, वृन्दावन
एवं राधापुरम आवासीय योजना, मथुरा

भवन पंजीकरण / आवंटन अवधि

दिनांक 03/09/2021 से 31.03.2022 तक

राजेश कुमार (पी०सी०एस०)
सचिव

नगेन्द्र प्रताप (आई०ए०एस०)
उपाध्यक्ष

रुकमणी विहार, कैलाश नगर एवं राधापुरम आवासीय योजना के कुछ आकर्षक बिन्दु




- मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा यह योजना वृन्दावन में ब्रज क्षेत्र के मध्य विकसित की गयी है।
- योजना धार्मिक एवं अध्यात्म की दृष्टि से अति-महत्वपूर्ण वृन्दावन-मथुरा शहरों के अत्यन्त सन्निकट एवं पूर्णतया विकसित क्षेत्र के अन्तर्गत नियोजित है।
- रुकमणी विहार आवासीय योजना आगरा-दिल्ली मार्ग (एन.एच.-2) पर स्थित छटीकरा से वृन्दावन जाने वाले मार्ग (छटीकरा मार्ग) पर स्थित है।
- रुकमणी विहार योजना एन.एच.-2 से 2.50 कि०मी० एवं वृन्दावन इस्कॉन मंदिर से 1.50 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
- रुकमणी विहार आवासीय योजना में नर्सिंग होम, इण्टर कॉलेज, सामुदायिक सुविधा, होटल, ग्रुप हाउसिंग, आश्रम-मठ, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, डाकघर एवं एकल आवासीय भवन/भूखण्डों हेतु विकसित की गयी है।
- कुशल नियोजक द्वारा योजना को आधुनिक तरीके से नियोजित किया गया है। हरा-भरा प्रदूषण रहित वातावरण ।
- राधापुरम एवं कैलाश नगर आवासीय योजना मथुरा-वृन्दावन रोड पर स्थित है । भारतीय संस्कृति एवं पुरातत्व के महात्म्य के प्रतीक चिन्ह वृन्दावन में आवास हेतु लम्बी अवधि से चली आ रही मांग को दृष्टि में रखते हुए प्राधिकरण द्वारा रुकमणी विहार आवासीय योजना प्रस्तावित है जो छटीकरा रोड पर स्थित है, इस योजना में आवासीय भवनों की प्रस्तावना की गई है। रुकमणी विहार योजना तीन ओर से प्रमुख सडकों के मध्य नैसर्गिक प्राकृतिक वातावरण में स्थित एक योजना है, जो वृन्दावन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-2 के बीच में स्थित होने के कारण जहाँ एक ओर शान्तिपूर्ण परिवेश सुनिश्चित करती है, वही दूसरी ओर सुगम्य भी है ।



ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया

नियम व शर्तें

1. मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण की योजनाओं में आवंटन हेतु रिक्त भवनों का ऑन लाईन पंजीकरण janhit.upda.in वेबसाइट के माध्यम से किया जायेगा ।
2. सभी आवेदन शुल्क रू0 300.00 एवं पंजीकरण शुल्क के साथ ऑनलाईन janhit.upda.in वेबसाइट पर प्राप्त किये जायेंगे ।
3. रिक्त भवनों का विवरण एवं ब्रोशर प्राधिकरण की वेबसाइट mvdamathura.com या mvda.in पर भी उपलब्ध है ।
4. पंजीकरण प्रारम्भ होने की तिथि के पश्चात् प्रतिदिन 'प्रथम आओ प्रथम पाओ' पद्धति में आवंटन उपरान्त अवशेष आवंटन हेतु उपलब्ध भवनों की सूची प्रतिदिन प्राधिकरण नोटिस बोर्ड/वेबसाइट पर उपलब्ध होगी ।
5. मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण की कैलाश नगर, राधापुरम व रुक्मिणी विहार आवासीय योजना में आवासीय भवन के पंजीकरण/आवंटन हेतु योजना कोड-233 है ।
6. भवन का मूल्य, कोड, भवनों की संख्या, क्षेत्रफल, पंजीकरण धनराशि व अन्य विवरण संलग्न तालिका 01 में संलग्न है ।
7. आवेदक या उसके परिवार (परिवार से तात्पर्य आवेदक, उसके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चों से है) के पास प्रश्नगत अभिकरण के विकास क्षेत्र में विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए तथा उ0प्र0 के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
8. यदि कोई व्यक्ति (व्यक्ति विशेष) अथवा परिवार के आश्रित सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का एक से ज्यादा योजना में आवंटन हो जाता तो वह व्यक्ति आवंटित सम्पत्ति में से मात्र एक सम्पत्ति रख सकता है अन्य में जमा की गई धनराशि बिना किसी कटौती के वापिस ले सकता है।
9. दुर्बल आय वर्ग भवन हेतु आवेदन करने वाले आवेदक की वार्षिक आय अधिकतम रू0 3.00 लाख एवं अल्प आय वर्ग (किराया कर्ष पद्धति) के आवेदक की वार्षिक आय रू0 6.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये । आवेदककर्ता को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
10. आवंटन धनराशि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से एक माह की अवधि में नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी । यदि आवंटनी देय धनराशि आवंटन पत्र जारी होने के बाद में जमा कर देता है तो नियमानुसार विलम्ब ब्याज देय होगी तथा तीन माह के अन्दर धनराशि जमा नहीं करायी जाती है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा ।

 -3-  

11. भुगतान विवरण :

रुक्मणी विहार आवासीय योजना, वृन्दावन ।		
1.	पंजीकरण धनराशि	सामान्य वर्ग के आवेदकों हेतु 10 प्रतिशत निर्धारित है । आरक्षित वर्ग के आवेदकों हेतु 05 प्रतिशत निर्धारित है ।
2.	आवंटन धनराशि	सामान्य वर्ग के आवेदकों हेतु 10 प्रतिशत निर्धारित है । आरक्षित वर्ग के आवेदकों हेतु 15 प्रतिशत निर्धारित है ।
3.	अवशेष धनराशि	दुर्बल आय वर्ग भवनों की अवशेष 80 प्रतिशत धनराशि 15 वर्ष की 180 मासिक किश्तों में 10.90 प्रतिशत ब्याज सहित देय होगी ।
		स्टूडियो भवनों की अवशेष 80 प्रतिशत धनराशि 02 वर्ष की आठ त्रैमासिक किश्तों में 10.90 प्रतिशत ब्याज सहित देय होगी ।
		01 बी0एच0के0 भवनों की अवशेष 80 प्रतिशत धनराशि 02 वर्ष की आठ त्रैमासिक किश्तों में 11.60 प्रतिशत ब्याज सहित देय होगी ।
		02 बी0एच0के0 भवनों की अवशेष 80 प्रतिशत धनराशि 03 वर्ष की 12 त्रैमासिक किश्तों में 11.60 प्रतिशत ब्याज सहित देय होगी ।
		अल्प आय वर्ग (किराया कय पद्धति) भवनों की अवशेष 80 प्रतिशत धनराशि 120 मासिक किश्तों में 11.30 प्रतिशत ब्याज सहित देय होगी ।
		अल्प आय वर्ग (स्ववित्त पोषित पद्धति) भवनों की अवशेष 80 प्रतिशत धनराशि एक वर्ष की 04 त्रैमासिक किश्तों में 11.30 प्रतिशत ब्याज सहित देय होगी ।
कैलाश नगर आवासीय योजना, वृन्दावन ।		
1.	पंजीकरण धनराशि	10 प्रतिशत धनराशि आवेदन के समय ।
2.	आवंटन धनराशि	10 प्रतिशत धनराशि आवंटन के पश्चात् ।
3.	अवशेष धनराशि	भवन की अवशेष 80 प्रतिशत धनराशि 02 वर्ष की 08 त्रैमासिक किश्तों में 10.90 प्रतिशत ब्याज सहित देय होगी ।



राधापुरम आवासीय योजना, मथुरा ।		
1.	पंजीकरण धनराशि	10 प्रतिशत धनराशि आवेदन के समय ।
2.	आवंटन धनराशि	10 प्रतिशत धनराशि आवंटन के पश्चात् ।
3.	अवशेष धनराशि	अवशेष 80 प्रतिशत धनराशि 02 वर्ष की 08 त्रैमासिक किश्तों में 10.90 प्रतिशत ब्याज सहित देय होगी ।




12. निर्धारित अवधि में धनराशि जमा न करने की दशा में नियमानुसार विलम्ब ब्याज देय होगी ।
13. कार्नर भवन का आवंटन होने पर वास्तविक मूल्यांकन के उपरान्त धनराशि देय होगी ।
14. ब्याज को किश्तों में जोड़कर भुगतान विवरण तैयार किया जायेगा । ब्याज की गणना रू0 के निकटतम पूर्णक में होगी । किश्तों से सम्बन्धित धनराशि पे-आर्डर/ बैंक ड्राफ्ट/ आर.टी.जी.एस./ नैफ्ट के माध्यम से प्राधिकरण कोष में जमा की जा सकती है ।

BANK DETAIL FOR R.T.G.S./N.E.F.T.

BANK	-	PUNJAB NATIONAL BANK, FAIZ-E-AAM, MATHURA
ACCOUNT NAME	-	MATHURA-VRINDAVAN DEVELOPMENT AUTHORITY MATHURA
BANK IFSC CODE	-	PUNB0491700
A/C NO.	-	4917000100011493

15. किश्तों के भुगतान हेतु देय राशि की निर्धारित तिथि के बाद एक माह की अनुग्रह अवधि दी जायेगी । तथापि यदि देय तिथि को किश्त की किसी पिछली धनराशि कर भुगतान शेष रहता है तो अग्रिम किश्त पर कोई अनुग्रह अवधि नहीं दी जायेगी तथा भुगतान की मूल देय तिथि से 3 प्रतिशत दण्ड ब्याज का भुगतान करना होगा ।
16. तीन महीने की अवधि में ब्याज सहित भुगतान न करने की दशा में बिना किसी पूर्व सूचना के आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा ।
17. भवन का आवंटन प्रथम आओ प्रथम पाओ के अन्तर्गत जहाँ है जैसा है के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के दृष्टिगत किया जायेगा । इसलिये आवंटन होने के उपरान्त समर्पण/निरस्तीकरण की दशा में भवन के मद जमा की गयी समस्त धनराशि जब्त करली जायेगी । समर्पण/निरस्तीकरण पर विचार नहीं किया जायेगा ।
18. आवंटी द्वारा देय किश्तों के पूर्ण भुगतान होने के पश्चात् भवन निबन्धन कराने हेतु सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर निबन्धन कराकर कब्जा प्राप्त नहीं करता है तो आवंटन निरस्त करने का प्राधिकरण को अधिकार होगा एवं बिन्दु सं0 17 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

- 5 -

19. भुगतान नियरण के अनुसार तीन मासिक/त्रैमासिक किस्तें अदा न करने पर भवन का नियमानुसार आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण को होगा तथा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
20. इस योजना में ई.डब्ल्यू.एस. आवेदकों के लिए अधिकतम आय सीमा 3.00 लाख तक एवं एल.आई.जी. के आवेदक को 6.00 लाख का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिनका आय कोड 01 है एवं अन्य आवेदकों की आय सीमा निर्धारित नहीं है जिनका आय कोड 02 है।
21. इन योजना में सभी वर्गों अर्थात् आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी के लिए प्रथम आओ प्रथम पाओ के अन्तर्गत वॉछित भवन "जहाँ है जैसा है" के आधार पर आवंटित किया जायेगा।
22. इन सभी योजनाओं के आवंटन प्रथम आओ प्रथम पाओ के अन्तर्गत जहाँ है जैसा है के आधार पर आवंटित किये जायेंगे। आवेदन के साथ संलग्नक प्रपत्रों का परीक्षणोपरान्त सही पाये जाने पर आवेदन को दिनांक व समय के अनुसार प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर प्रात्रता तय की जायेगी। एक ही दिन में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो एक मुश्त वाले आवेदक को आवंटन हेतु वरीयता दी जायेगी।
23. जिन आवेदकों को भवन आवंटित नहीं हो पाते और जिनकी जमा राशि एक वर्ष से कम अवधि के लिए मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण के पास जमा है उन्हें पंजीकरण राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।
24. असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी आवंटन सूची जारी होने के बाद एक माह के अन्दर एवं आवेदक द्वारा जमा धनराशि को मांगने के उपरान्त वापिस कर दी जायेगी।
25. आवेदक आवेदन पत्र में अपना खाता संख्या व बैंक का नाम अवश्य भरें। आवेदकों को धन वापसी के संबंध में बैंक आने की आवश्यकता नहीं है।
26. असफल आवेदकों की धनराशि का भुगतान आरटीजीएस/नेफ्ट एवं डीडी के माध्यम से भी किया जायेगा।
27. रुक्मणी विहार के भवनों का आवंटन 90 वर्ष के पट्टे के आधार पर किया जायेगा। पट्टे का अधिभार भवन के मूल्य का 10% लीजरेन्ट व अन्य देय शुल्क के रूप में कब्जा/पट्टा विलेख से पूर्व देय होगा। योजना के हस्तान्तरण तक आवंटियों से अनुरक्षण शुल्क इत्यादि प्राधिकरण द्वारा लिये जायेंगे।
28. आवंटी द्वारा भवन का समस्त मूल्य जमा करने के उपरान्त तीन महीने के अन्दर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराकर अपने खर्च पर प्राधिकरण के निर्धारित प्रारूप में पट्टा विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्राधिकरण द्वारा तत्समय की गयी दण्डात्मक कार्यवाही आवंटी को मान्य होगी।
29. इन योजनाओं में भवन का कब्जा आवंटी द्वारा कुल मूल्य एवं पट्टा किराया एवं अन्य शुल्क आदि जमा कराने तथा पट्टा विलेख/फ्रीहोल्ड पंजीकृत के बाद दिया जायेगा। आवंटी द्वारा पंजीकरण का व्यय/स्टॉम्प शुल्क स्वयं वहन किया जायेगा।







30. आवंटी को समय पर लागू होने वाले समस्त म्यूनिशिपल कर एवं अन्य कर जो स्थानीय निकाय या शासन द्वारा नियम एवं उपनियम के अन्तर्गत लगाये जाते हैं का भुगतान कब्जा लेने की तिथि से समय-2 पर कराना होगा ।
31. आवंटी विद्युत कनेक्शन एवं अन्य सुविधायें सम्बन्धित विभागों से अपने खर्च पर स्वयं लेगा ।
32. प्रश्नगत योजना में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट के प्राविधान लागू होंगे ।
33. योजना के स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित किये जाने पर नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को शुल्क आवंटी द्वारा स्वयं अदा करने होंगे ।
34. भवन का पट्टा विलेख/फ्रीहोल्ड विलेख कराने से पूर्व फ्रीहोल्ड चार्ज/लीजरेन्ट, जल संयोजन, कार्गर चार्ज, जी0एस0टी0 एवं अन्य शुल्क जो देय होंगे वह आवंटी को पृथक से जमा कराने होंगे । भवन का क्षेत्रफल/मूल्य लोकेशन के अनुसार घट-बढ़ सकता है ।
35. रिक्त भवनों में से किसी भवन पर पूर्व आवंटी द्वारा अथवा न्यायालय द्वारा विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर उक्त भवन का आवंटन रोकने का अधिकार उपाध्यक्ष, म0वू0वि0प्रा0 का होगा ।
36. आवंटन तक इस योजना की किसी भी शर्त में संशोधन करने का अधिकार उपाध्यक्ष मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण को होगा तथा ऐसे संशोधन आवेदकों/आवंटियों को मान्य होंगे
37. तालिका एक में दर्शाये गये भवनों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है ।
38. इस योजना से सम्बन्धित प्रत्येक मामले में उपाध्यक्ष, म0वू0वि0प्रा0 का निर्णय अंतिम होगा ।
39. किसी भी विवाद की दशा में मथुरा न्यायालय को ही अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा ।
40. कसी भी विवाद की दशा में पुस्तिका का हिन्दी ड्राफ्ट ही मान्य होगा ।
41. ऐसे आवेदन जो पंजीकरण धनराशि के साथ जिस तिथि को बैंक को प्राप्त होंगे वही तिथि उनके 'प्रथम आओ प्रथम पाओ' पद्धति के अन्तर्गत आवंटन का आधार होगी ।
42. लगातार तीन किश्तें जमा न होने की दशा में बिना सूचित किये आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं समस्त धनराशि बिन्दु सं0 17 के अनुसार जब्त कर ली जायेगी ।
43. निर्माण के उपरान्त फ्लैट्स के 50 प्रतिशत तक कब्जे पूर्ण होने तक लिफ्ट आदि बाहिय सेवाओं के अनुस्क्षण का कार्य प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा । तदोपरान्त आवंटियों द्वारा R.W.A. का गठन कर अनुस्क्षण का कार्य करना होगा । प्राधिकरण द्वारा इस कार्य के लिए अलग से अनुस्क्षण शुल्क लिया जायेगा ।

उपाध्यक्ष,
मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण,
मथुरा ।





तालिका-01
आवंटन हेतु रिक्त भवनों का विवरण

(A) रुक्मणी विहार आवासीय योजना में 'पहले आओ पहले पाओ' एवं 'जहां है जैसा है' पद्धति से भवनों का आवंटन							
क्र० सं०	भवन की श्रेणी	संख्या	तल	प्लिथ एरिया (वर्ग मी० में)	कारपेट एरिया अनु० क्षेत्र (वर्ग मी० में)	अनुमानित मूल्य (रु० में)	10 प्रतिशत पंजीकरण राशि
1.	स्टूडियो भवन	07	G.F	24.61	22.40	8,08,580.00	80,910.00
		37	F.F/ S.F/ T.F	24.61	22.40	7,14,010.00	71,460.00
2.	1 बी.एच.के. भवन	41	G.F	42.73	39.90	13,99,520.00	1,40,000.00
		136	F.F/ S.F/ T.F	42.73	39.90	12,36,240.00	1,23,675.00
3.	दुर्बल आय वर्ग भवन	51	G.F	24.61	19.10	6,48,080.00	64,860.00
		166	F.F/ S.F/ T.F	24.61	19.10	5,41,000.00	54,150.00
4.	अल्प आय वर्ग भवन (स्ववित्त पोषित)	14	G.F	42.73	39.90	13,71,650.00	1,37,215.00
		30	F.F/ S.F/ T.F	42.73	39.90	11,77,070.00	1,17,760.00
5.	अल्प आय वर्ग भवन (किराया कय पद्धति)	26	G.F	42.73	39.90	13,40,520.00	1,34,110.00
		92	F.F/ S.F/ T.F	42.73	39.90	11,62,360.00	1,16,290.00
6.	2 बी०एच०के० भवन	11	U.G.F	46.27	42.50	21,85,050.00	2,18,555.00
				45.33	41.57		
6A	2 बी०एच०के० भवन	11	F.F	46.27	42.50	21,54,250.00	2,15,475.00
				45.33	41.57		
6B	2 बी०एच०के० भवन	12	S.F	46.27	42.50	21,23,500.00	2,12,400.00
				45.33	41.57		
6C	2 बी०एच०के० भवन	10	T.F	46.27	42.50	20,92,700.00	2,09,320.00
				45.33	41.57		
6D	2 बी०एच०के० भवन	13	Forth floor	46.27	42.50	20,61,950.00	2,06,250.00
				45.33	41.57		





(B) राधापुरम आवासीय योजना में 'पहले आओ पहले पाओ' एवं 'जहां है जैसा है' पद्धति से भवनों का आवंटन							
1.	एच0आई0जी0 भवन सं0-02	01	Ground Flor	85.94	-	24,01,400.00	2,40,140.00
2.	एच0आई0जी0 भवन सं0-08	01	First Flor	85.94	-	19,97,200.00	1,99,720.00
(C) कैलाश नगर आवासीय योजना में 'पहले आओ पहले पाओ' एवं 'जहां है जैसा है' पद्धति से भवन का आवंटन							
1.	भावना भवन सं0-एस-2/187	01	-	78.75	-	13,18,000.00	1,31,800.00

नोट :- उपरोक्त तालिका में आरक्षित श्रेणी के आवेदक से 05 प्रतिशत पंजीकरण धनराशि आवेदन के साथ देय होगी ।

शपथ-पत्र

समस्त सचिव/उपाध्यक्ष, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ।

शपथ-पत्र श्री/श्रीमती.....

पुत्र/पुत्री/पत्नीश्री.....

उम्र..... वर्ष नि०.....

पेशा.....

मैं धर्म से निम्नलिखित ध्यान करता/करती हूँ ।

1. यह कि मेरी आयु/जन्म तिथि..... है ।
2. मेरे द्वारा भवन को मीके पर भली-भांति देखकर ही आवेदन किया है । उक्त भवन को जहां है जैसा है के आधार पर ही लेना चाहता/चाहती हूँ ।
3. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने म०वृ०वि०प्रा०, मथुरा की उपर्युक्त योजना से सम्बन्धित नियम को पढ़ लिया है एवं मैं/हम उसका पालन करूंगा/करेंगे ।
4. यह मैं/हम बिक्री के लिए भवन का आवंटन स्वीकार नहीं करता हूँ/करते हैं तब मैं/हम मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा द्वारा नियमों के अधीन शर्तों का पालन न किये जाने की दशा में प्राधिकरण द्वारा जम्मा की गई धनराशि को स्वीकार करूंगा/करेंगे । इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं की जायेगी ।
5. मैं सहमत हूँ कि मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा एवं आवेदक के मध्य किसी प्रकार के विवाद को निपटाने का क्षेत्राधिकार मथुरा न्यायालय का होगा एवं अन्य किसी भी न्यायालय का क्षेत्राधिकार मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा एवं आवेदक के इकरारनामे के अनुसार मान्य नहीं होगा ।
6. आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनायें मेरे संज्ञान में सही हैं । भविष्य में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसके लिए प्राधिकरण द्वारा की गई कार्यवाही मुझे मान्य होगी ।
7. यह है कि मेरे द्वारा लेने वाले भवन को मीके पर भली-भांति देखकर जैसा है जहां है के आधार पर आवेदन किया है जिस में लेने हेतु पूर्ण रूप से सहमत हूँ ।
8. यह कि शपथ-पत्र के मद सं० 01 लगायत 08 का ज्ञान मेरी जानकारी में सही व सत्य है इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है । जिसको सही समझता/समझती हूँ । ईश्वर मेरी मदद करे ।

प्रमाणित किया दिनांक..... स्थान



शपथकर्ता

19. भुगतान वितरण के अनुसार तीन मासिक/त्रैमासिक किश्तें अदा न करने पर भवन का नियमानुसार आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण को होगा तथा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।
20. इस योजना में ई.डब्ल्यू.एस. आवेदकों के लिए अधिकतम आय सीमा 3.00 लाख तक एवं एल.आई.जी. के आवेदकों को 6.00 लाख का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिनका आय कोड 01 है एवं अन्य आवेदकों की आय सीमा निर्धारित नहीं है जिनका आय कोड 02 है।
21. इन योजना में सभी वर्गों अर्थात् आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी के लिए प्रथम आओ प्रथम पाओ के अन्तर्गत वॉछित भवन 'जहाँ है जैसा है' के आधार पर आवंटित किया जायेगा।
22. इन सभी योजनाओं के आवंटन प्रथम आओ प्रथम पाओ के अन्तर्गत जहाँ है जैसा है के आधार पर आवंटित किये जायेंगे । आवेदन के साथ संलग्नक प्रपत्रों का परीक्षणोपरान्त सही पाये जाने पर आवेदन को दिनांक व समय के अनुसार प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर पात्रता तय की जायेगी । एक ही दिन में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो एक मुश्त वाले आवेदक को आवंटन हेतु वरीयता दी जायेगी ।
23. जिन आवेदकों को भवन आवंटित नहीं हो पाते और जिनकी जमा राशि एक वर्ष से कम अवधि के लिए मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण के पास जमा है उन्हें पंजीकरण राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी ।
24. असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी आवंटन सूची जारी होने के बाद एक माह के अन्दर एवं आवेदक द्वारा जमा धनराशि को मांगने के उपरान्त वापिस कर दी जायेगी ।
25. आवेदक आवेदन पत्र में अपना खाता संख्या व बैंक का नाम अवश्य भरें । आवेदकों को धन वापसी के संबंध में बैंक आने की आवश्यकता नहीं है।
26. असफल आवेदकों की धनराशि का भुगतान आरटीजीएस/नैफ्ट एवं डीडी के माध्यम से भी किया जायेगा ।
27. रुक्मणी विहार के भवनों का आवंटन 90 वर्ष के पट्टे के आधार पर किया जायेगा। पट्टे का अधिभार भवन के मूल्य का 10% लीजरेन्ट व अन्य देय शुल्क के रूप में कब्जा/पट्टा विलेख से पूर्व देय होगा। योजना के हस्तान्तरण तक आवंटियों से अनुक्षण शुल्क इत्यादि प्राधिकरण द्वारा लिये जायेंगे ।
28. आवंटी द्वारा भवन का समस्त मूल्य जमा करने के उपरान्त तीन महीने के अन्दर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराकर अपने खर्चे पर प्राधिकरण के निर्धारित प्रारूप में पट्टा विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्राधिकरण द्वारा तत्समय की गयी दण्डात्मक कार्यवाही आवंटी को मान्य होगी ।
29. इन योजनाओं में भवन का कब्जा आवंटी द्वारा कुल मूल्य एवं पट्टा किराया एवं अन्य शुल्क आदि जमा कराने तथा पट्टा विलेख/फीहोल्ड पंजीकृत के बाद दिया जायेगा । आवंटी द्वारा पंजीकरण का व्यय/स्टॉम्प शुल्क स्वयं वहन किया जायेगा ।





**REGISTRATION FORM
FOR
GROUP HOUSING/ASHRAM MATH /COMMERCIAL
/SHOPS/RESIDENTIAL PLOTS**

at

*Rukmani Vihar, Radha Puram, Kadamb Vihar,
Chaitnya vihar (IInd phase) & Kailash Nagar
Registration Date.....03/09/2021..... To 31-03-2022*

**Auction Venue
Authority Meeting Hall
Mathura**



MATHURA-VRINDAVAN DEVELOPMENT AUTHORITY

32, Civil Lines Mathura

Devi Prasad

[Signature]

[Signature]

[Signature]

कार्यालय— मथुरा—वृन्दावन विकास प्राधिकरण,

32, सिविल लाईन्स, मथुरा ।

रूक्मणी विहार, राधापुरम, कदम्ब विहार, चैतन्य विहार (द्वितीय चरण) एवं कैलाश नगर आवासीय योजना के कुछ आकर्षक बिन्दु :-

- मथुरा—वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा यह योजना वृन्दावन में ब्रज क्षेत्र के मध्य विकसित की गयी है।
- योजना धार्मिक एवं अध्यात्म की दृष्टि से अति—महत्वपूर्ण, वृन्दावन—मथुरा शहरों के अत्यन्त सन्निकट एवं पूर्णतया विकसित क्षेत्र के अन्तर्गत नियोजित है।
- कैलाश नगर आवासीय योजना मथुरा—वृन्दावन रोड पर बांके बिहारी मन्दिर के समीप स्थित है।
- रूक्मणी विहार आवासीय योजना, आगरा—दिल्ली मार्ग स्थित छटीकरा से वृन्दावन जाने वाले मार्ग (छटीकरा मार्ग) पर एन.एच.-2 से 2.50 कि०मी० दूरी पर एवं वृन्दावन इस्कॉन मंदिर से 1.50 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
- कदम्ब विहार आवासीय योजना रिफायनरी टाउनशिप के समीप तथा आगरा—दिल्ली मार्ग (एनएच-2) पर स्थित है एवं राधापुरम आवासीय योजना मथुरा—वृन्दावन रोड पर बिड़ला मन्दिर के समीप स्थित है।
- चैतन्य विहार द्वितीय चरण, आवासीय योजना, वृन्दावन में इस्कॉन मंदिर के समीप स्थित है।
- रूक्मणी विहार आवासीय योजना में मेडिकल सुविधा, इण्टर कॉलेज, सामुदायिक सुविधा, होटल, गुफ हाउसिंग, आश्रम—गठ, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, एवं एकल आवासीय भवन/भूखण्ड हेतु विकसित की गयी है।
- योजनाओं में वृहद क्षेत्रफल, पार्कों, सड़कों एवं हरित क्षेत्र हेतु रखा गया है।
- कुशल नियोजक द्वारा योजना को आधुनिक तरीके से नियोजित किया गया है।
- हरा—भरा प्रदूषण रहित वातावरण।
- मथुरा—वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा योजना के सामने प्रथम बार वास्तुकारी युक्त बाउण्ड्रीवाल के साथ मुख्य द्वार का निर्माण कार्य कराया गया है।

Prakash
9

Prakash

- 2 -

Prakash

Prakash

भारतीय संस्कृति एवं पुरातत्व के महात्म्य के प्रतीक चिन्ह, वृन्दावन में लम्बी अवधि से चली आ रही मांग को दृष्टि में रखते हुए प्राधिकरण द्वारा विकसित रूक्मणी विहार आवासीय योजना में होटल/आश्रम मठ/व्यवसायिक/ग्रुप हाउसिंग एवं चैतन्य विहार (द्वितीय चरण) आवासीय योजना में आवासीय भूखण्ड/क्योस्क भूखण्ड (दुकान) तथा कैलाश नगर आवासीय योजना, वृन्दावन में दुकानों तथा राधापुरम एवं कदम्ब विहार आवासीय योजना मथुरा में आवासीय भूखण्डों की प्रस्तावना की गई है ।

रूक्मणी विहार, चैतन्य विहार (द्वितीय चरण) एवं कैलाश नगर आवासीय योजना जो वृन्दावन में स्थित होने के कारण जहां एक ओर शांतिपूर्ण परिवेश सुनिश्चित करती है, वहीं दूसरी ओर सुगम्य भी है ।







1. योजनाएँ :-

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 183 एकड़ भूमि पर रुक्मणी विहार योजना नेशनल हाईवे-2 से प्रारंभ होने वाली छटीकरा रोड़ पर विकसित की जा रही है। यह योजना नेशनल हाईवे-2 से 2.50 कि०मी० एवं इस्कॉन मंदिर से 1.50 कि०मी० की दूरी पर छटीकरा मुख्य मार्ग पर ही स्थित है।

कैलाश नगर योजना मथुरा-वृन्दावन रोड़ पर स्थित जो पूर्ण विकसित योजना है। यह योजना नेशनल हाईवे-2 से मथुरा-वृन्दावन रोड़ पर स्थित है। छटीकरा मुख्य मार्ग व इस्कॉन मंदिर से 3 कि०मी० की दूरी पर स्थित है।

रुक्मणी विहार, कदम्ब विहार, राधापुरम एवं कैलाश नगर एवं चैतन्य विहार द्वितीय चरण आवासीय योजना स्वयं में नगरीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली सौन्दर्यपूर्ण, कुशलता से नियोजित रिहायशी एवं सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली योजना है। सम्पत्तियों का विवरण आगे तालिकाओं (ए से ई तक) दिया गया है।

2. आवेदन कैसे करें :-

- (i) भूखण्ड के पंजीकरण हेतु सभी प्रकार के आवेदन ऑनलाईन janhit.upda.in ही प्राप्त किये जायेंगे।
- (ii) विभिन्न श्रेणी की सम्पत्तियों हेतु आवेदन शुल्क रु० 1000.00 एवं पंजीकरण के लिए निर्धारित धरोहर/पंजीकरण धनराशि आवेदक को ऑनलाईन जमा करनी होगी तभी आवेदन पूर्ण माना जायेगा।

3. आवेदन कौन कर सकता है :-

- (i) कोई भी भारत का नागरिक/व्यक्ति जो कानूनी रूप से वैध व्यक्तित्व रखता है। इस प्रस्तावित फ्रीहोल्ड सम्पत्ति को नीलामी के द्वारा खरीद सकता है।
- (ii) प्रस्तावित कम्पनी, अपंजीकृत फर्मस व संयुक्त हिन्दु परिवार द्वारा दी गई बोली मान्य नहीं होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त केवल ऐसी फर्म एवं कम्पनियां, जो रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसाइटीज द्वारा भारतीय कम्पनी एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकृत है, वे ही नीलामी में आवेदन कर सकती है एवं उन्हीं के पक्ष में खरीद के पश्चात् सेल डीड करायी जा सकेगी।
- (iii) यह योजना आम जनमानस, कम्पनीज/फर्मस के लिए खुली है।





4. नीलामी :-

- (i) आश्रम मठ, ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों, आवासीय भूखण्डों व दुकानों की बिक्री 'जैसा है जहां है' के आधार पर खुली नीलामी के माध्यम से की जायेगी । नीलामी प्रत्येक शुक्रवार को पूर्वान्ह 11.00 बजे प्राधिकरण सभागार में होगी ।
- (ii) आवेदन अर्ह पाये जाने पर नीलामी में भाग लेने की सूचना आवेदक को ऑनलाईन/एस.एम.एस./दूरभाष पर दी जायेगी ।
- (iii) ग्रुप हाउसिंग/आश्रम मठ/व्यवसायिक भूखण्डों/दुकानों एवं आवासीय भूखण्डों की बिक्री हेतु खुली नीलामी रखी गयी है। बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्थल का भली-भांति अवलोकन कर सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी जाती है । नीलामी के पश्चात् किसी प्रकार की शिकायत अथवा आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा ।
- (iv) यदि बोलीदाता एकल व्यक्ति नाम के अतिरिक्त किसी अन्य नाम से बिड देता है तो आवश्यक है कि वह बिड देने वाले से पूर्व सभी आवश्यक दस्तावेज/मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, कम्पनी/सोसायटी /ट्रस्ट आदि द्वारा प्रदत्त बोली में भाग लेने के अधिकार पत्र आदि प्रस्तुत करके नीलामी में भाग ले सकता है ।
- (v) रिजर्व प्राइस (न्यूनतम निर्धारित मूल्य) एवं उसके ऊपर बोली में बोले जाने वाली न्यूनतम बढ़ोत्तरी मूल्य की घोषणा नीलामी के समय कर दी जायेगी ।
- (vi) नीलामी में दी गई अधिकतम बोली की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के निर्णय का अधिकार उपाध्यक्ष, म0वृ0वि0प्रा0 को होगा। उपाध्यक्ष, म0वृ0वि0प्रा0 को अधिकार होगा कि वह प्राधिकरण हित में अधिकतम बोली सहित किसी भी बोली को स्वीकृत अथवा बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकते हैं । उपाध्यक्ष का यह निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।
- (vii) अधिकतम बोली की 10 प्रतिशत धनराशि (जिसमें धरोहर धनराशि भी सम्मिलित है) वह उच्चतम बोली के अंत में (फॉल ऑफ हैमर) तुरंत जमा करनी होगी। यह धनराशि जमा न करा पाने की दशा में जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।







(viii) उच्चतम बोलीदाता उपाध्यक्ष, म०वृ०वि०प्रा० द्वारा स्वीकार की जायेगी ऐसे अधिकतम बोली की समस्त धनराशि बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर के माध्यम से सचिव, म०वृ०वि०प्रा० के पक्ष में निम्नानुसार दो भुगतान योजनाओं के अन्तर्गत जमा कराने का विकल्प होगा :-

भुगतान विकल्प - ए :

- | | | |
|---|---|--|
| (i) नीलामी के समय धरोहर राशि | - | तालिका के अनुसार निर्दिष्ट धरोहर राशि । |
| (ii) बोली समाप्ति के समय धनराशि (फॉल ऑफ हैमर) | - | अधिकतम बोली की 10% धनराशि (धरोहर राशि सम्मिलित) जमा की जानी है । |
| (iii) अधिकतम बिड की 90% धनराशि । | - | आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से तीन माह के अंदर बिना ब्याज के जमा करानी होगी । |

भुगतान विकल्प - बी :

- | | | |
|---|---|---|
| (i) नीलामी के समय धरोहर राशि | - | तालिका के अनुसार निर्दिष्ट धरोहर राशि । |
| (ii) बोली समाप्ति के समय धनराशि (फॉल ऑफ हैमर) | - | अधिकतम बोली की 10% धनराशि (धरोहर राशि सम्मिलित) जमा की जानी है । |
| (iii) आवंटन धनराशि | - | अधिकतम बोली की 15% धनराशि (आवंटन राशि) नीलामी तिथि से दो सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी । |
| (iv) अधिकतम बिड की 75% धनराशि । | - | आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से तीन वर्ष के अंदर 11.60 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित छः छमाही किश्तों में जमा करानी होगी । |

विकल्प 'बी' को चुनने वाले बोलीदाता को 29 दिन तक किश्त भुगतान हेतु ग्रेस समय दिया जायेगा। ग्रेस समय के पश्चात् पूर्व निर्धारित वास्तविक दिनांक से ही जितने दिन किश्त के भुगतान में विलम्ब होता है, का ब्याज 14.60 प्रतिशत की दर सहित का भुगतान लिया जायेगा। यदि किश्त का भुगतान पूर्व निर्धारित वास्तविक दिनांक से 3 माह पश्चात् भी नहीं किया जाता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा समस्त जमा राशि जब्त कर ली जायेगी ।



- 6 -



- (ix) बोलीदाता द्वारा प्राधिकरण का भूखण्ड/दुकान सम्बन्धी देय समस्त भुगतान कर देने एवं पंजीकृत विक्रय विलेख कराने के पश्चात् भूखण्ड/दुकान कब्जा दिया जायेगा। तदोपरान्त बोलीदाता/आवंटी म०वृ०वि०प्रा० से भूखण्ड निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्माण प्रारम्भ कर सकता है।
- (x) म०वृ०वि०प्रा० द्वारा ब्रोशर में दर्शाये गये भूखण्ड का क्षेत्रफल अनुमानित है। जिस उच्चतम बोलीदाता की बोली स्वीकर की जाती है, उसे भूखण्ड क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत विचलन एवं तदानुसार समानुपातिक आच्छादन को स्वीकार करना होगा। इसके साथ बड़े हुये अथवा घटे हुये क्षेत्रफल की समानुपातिक धनराशि का भुगतान करना अथवा रिफण्ड प्राप्त करना होगा। वास्तविक क्षेत्रफल का भूखण्ड की नीलामी द्वारा विक्रित समझा जायेगा। भूखण्ड के वास्तविक मूल्य की गणना उस भूखण्ड हेतु अधिकतम स्वीकृत बोली के मूल्य के समान ही होगी।
- (xi) बोलीदाता द्वारा भूखण्ड पर ऋण लिये जाने में म०वृ०वि०प्रा० को कोई आपत्ति नहीं होगी। ऋण लिये जाने से पूर्व विल्डर म०वृ०वि०प्रा० के साथ एक त्रिपक्षीय अनुबन्ध करायेगा, जिसके पश्चात् ही म०वृ०वि०प्रा० द्वारा उचित समझे जाने पर भूखण्ड को बंधक रखे जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। ऋण प्रक्रिया हेतु होने वाले समस्त खर्चों का वहन बोलीदाता को स्वयं करना होगा।

5. विक्रय विलेख एवं फीहोल्ड अधिकारों का निष्पादन :-

- (i) रजिस्ट्री/विक्रय विलेख से पूर्व सम्पूर्ण भूखण्ड लागत का 12 प्रतिशत फीहोल्ड चार्ज के रूप में अतिरिक्त देय होगी। नीलामी द्वारा खरीदी गई सम्पत्ति के स्वामी को फीहोल्ड अधिकार प्राप्त होंगे। यह अधिकार प्राधिकरण एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वास्तुविदिय नियंत्रण एवं मास्टर प्लान के नियमों के अधीन होंगे। यदि भूखण्ड कार्नर का है तो नियमानुसार कार्नर चार्ज देय होगा।
- (ii) प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप पर विक्रय विलेख कराना होगा। अंतिम भुगतान की तिथि से 2 माह के अंदर आवंटी को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख प्राप्त करना होगा।
- (iii) नीलामी द्वारा बोलीदाता को प्राप्त सम्पत्ति पर बोलीदाता म०वृ०वि०प्रा० के आवंटी के रूप में होगा एवं उसे विक्रय विलेख में वर्णित नियम व शर्तों का पालन करना होगा।
- (iv) बोलीदाता/आवंटी को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख/अनुबंध की दिनांक से पांच वर्ष के अन्दर म०वृ०वि०प्रा० से भवन निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृत कराकर एवं अनुबंध में निर्धारित शर्तों एवं आवश्यक विशिष्टियों के साथ



- 7 -



- निर्माण पूर्ण करना होगा । भवन निर्माण के उपरान्त म०वृ०वि०प्रा० से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा । आवंटी को पूर्णता प्रमाण पत्र पूर्ण धनराशि के भुगतान के उपरान्त एवं म०वृ०वि०प्रा० से स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण होने पर ही प्रदान किया जायेगा ।
- (v) भूखण्ड एवं उस पर निर्मित भवन का प्रयोग म०वृ०वि०प्रा० के साथ कराये गये विक्रय विलेख/अनुबंध में निर्धारित शर्तों के विरुद्ध नहीं किया जायेगा ।
- (vi) भूखण्ड अथवा उस पर निर्मित भवन पर भविष्य में जो भी दर, कर, शुल्क भवन निर्माण के दौरान निर्धारित शुल्क आदि आरोपित होते हैं, वह सभी बोलीदाता को जमा कराने होंगे ।
- (vii) वर्णित भूखण्ड/सम्पत्ति पर म०वृ०वि०प्रा० की सभी प्रकार की अवशेष धनराशि की वसूली भू-राजस्व के एरियर के रूप में बोलीदाता अथवा उसके उत्तराधिकारी से वसूल की जायेगी ।
- (viii) यदि यह पाया जाता है, कि भूखण्ड/सम्पत्ति के विक्रय विलेख प्राप्त करने में गलत सूचनायें दी गयी हैं अथवा उसके दिये किन्हीं वास्तविक तथ्यों को छिपाया गया है अथवा किसी प्रकार से गुमराह किया गया है अथवा विक्रय विलेख की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, जो विक्रय विलेख निरस्त कर दिया जायेगा ।
- (ix) जलापूर्ति, सीवर, जल निकासी, बिजली की लाईन आदि का भूखण्ड की परिसीमा तक विशिष्टियों के अनुरूप कार्य म०वृ०वि०प्रा० द्वारा कराया जायेगा । भूखण्ड के अंदर आंतरिक कार्य बोलीदाता/आवंटी द्वारा स्वयं करने होंगे ।
- (x) शासन/प्राधिकरण द्वारा वर्तमान दर पर निर्धारित अनुरक्षण शुल्क बोलीदाता/आवंटी से म०वृ०वि०प्रा० को तब तक प्राप्त करने का अधिकार होगा जब तक कि रूक्मणी विहार, चैतन्य विहार फेस-2, राधापुरम एवं कैलाश नगर आवासीय योजना स्थानीय निकाय/नगर निगम मथुरा को हस्तान्तरित नहीं हो जाती है ।



(xi) उच्चतम बोलीदाता/आवंटी को भुगतान विवरण पत्र में जमा धनराशि हेतु निर्धारित दिनांक के पश्चात् रजिस्ट्री (विक्रय विलेख) न कराये जाने की दशा में चौकीदारी शुल्क निम्नप्रकार से देय होगा :-
प्रथम तीन माह रू0 10/- प्रतिदिन, द्वितीय तीन माह रू0 20/- प्रतिदिन एवं इसके पश्चात् रू0 25/- प्रतिदिन देय होगा ।

6. स्टॉम्प मूल्य की अदायगी :-

विक्रय विलेख एवं अनुबंध तैयार कराने, उनकी प्रतिलिपि तैयार कराने, स्टाम्प कय करने, पंजीकरण शुल्क आदि सभी खर्चों का वहन बोलीदाता द्वारा स्वयं किया जायेगा । अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के समय यदि नगर निगम मथुरा-वृन्दावन/स्थानीय निकाय/प्राधिकरण द्वारा कोई शुल्क आरोपित किये जाते हैं तो उन शुल्कों का भुगतान बोलीदाता/आवंटी द्वारा किया जायेगा ।

7. निरस्तीकरण/समर्पण :-

(i) भूखण्ड का आवंटन होने के पश्चात् किसी भी दशा में समस्त जमा धनराशि वापिस नहीं की जायेगी ।

(ii) यदि आवंटी द्वारा अनुबंध में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन के कारण भूखण्ड/सम्पत्ति का आवंटन प्राधिकरण द्वारा निरस्त किया जाता है अथवा आवंटी द्वारा समर्पण किया जाता है तो किसी भी दशा में जमा धनराशि आवेदक/आवंटी को वापिस नहीं की जायेगी अर्थात् समस्त जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।

(iii) यदि म0वृ0वि0प्रा0 के किसी दोष के कारण आवंटी भूखण्ड पर कब्जा प्राप्त नहीं कर पाता है तो आवंटी को स्टेट बैंक द्वारा तत्समय देय सेविंग बैंक एकाउण्ट ब्याज के समान ब्याज सहित समस्त धनराशि वापिस की जायेगी ।

8. भूखण्ड/दुकान का कब्जा :-

आवंटी को भूखण्ड/दुकान का कब्जा नियमानुसार प्राधिकरण में देय सम्पूर्ण धनराशि जमा कराने एवं रजिस्ट्री/विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात् दिया जायेगा ।

9. विविध :-

(i) उपरोक्त योजनाओं में उच्चतम बोलीदाताओं को उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में भूखण्ड का पंजीकरण स्वयं ही कराया जाना होगा।



- (ii) इस योजना से सम्बन्धित किसी भी मामले यथा नीलामी/भवन निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति आदि में उपाध्यक्ष, म०वृ०वि०प्रा० का निर्णय अन्तिम होगा ।
- (iii) इस योजना के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के विवाद पर सुनवाई केवल मथुरा न्यायालय में विचारणीय होगी ।
- (iv) भू-अधिग्रहण सम्बन्धित किसी विवाद में यदि मा० न्यायालय द्वारा भविष्य में मुआवजा सहित अन्य धनराशि को बढ़ाया जाता है तो उसकी समानुपातिक धनराशि बोलीदाता द्वारा देय होगी ।
- (v) नीलामी से पूर्व इस पुस्तिका की किसी भी शर्त में संशोधन करने का अधिकार उपाध्यक्ष, म०वृ०वि०प्रा० को होगा ।
- (vi) यदि शासन/सरकार द्वारा किसी प्रकार का कर/शुल्क आरोपित किया जाता है तो उसका वहन बोलीदाता द्वारा देय होगा ।
- (vii) भूखण्ड पर भवन निर्माण के उपरान्त म०वृ०वि०प्रा० से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
- (viii) विक्रय विलेख निष्पादित होने के पश्चात् एक माह के अन्दर भूखण्ड/दुकान का कब्जा प्राप्त करना होगा ।
- (ix) कार्यालय मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण रेरा में पंजीकृत है ।
- (x) नीलामी हेतु विभिन्न सम्पत्तियों की श्रेणी संख्या एवं नम्बर में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी होने पर यथासमय विवरण ऑनलाईन/बेवसाईट पर उपलब्ध कराया जायेगा ।
- (xi) जिन सम्पत्तियों की नीलामी प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी उन सम्पत्तियों के रजिस्ट्रेशन के प्रक्रिया से विलोपित माना जायेगा एवं उक्त प्रक्रिया के उपरान्त पंजीकरण आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगा ।

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति,
म०वृ०वि०प्रा०, मथुरा ।

सचिव
म०वृ०वि०प्रा०, मथुरा ।

उपाध्यक्ष,
म०वृ०वि०प्रा०, मथुरा ।





तालिका-01

आवंटन हेतु रिक्त भूखण्डों/दुकानों का विवरण

क्र० सं०	सम्पत्ति श्रेणी/नम्बर	भूखण्ड संख्या	एफ0ए0आर0/ भू-आच्छादन	अनुमानित क्षेत्रफल (वर्गमी०)	आरक्षित दर (रु.) (प्रति वर्ग मी०)	मूल्य (रु.) (प्रति सम्पत्ति)	10 % धरोहर /पंजीकरण धनराशि (रु.)
(A)	रूग्मणी विहार आवासीय योजना में 'नीलागी' पद्धति से आश्रम मठ/व्यवसायिक/होटल/गुप हाउसिंग भूखण्ड का आवंटन						
1.	आश्रम मठ भूखण्ड E-08	01	1.20/40%	1249	23,400.00	2,92,26,600.00	29,22,660.00
2.	आश्रम मठ भूखण्ड E-11, E-12	02	1.20/40%	1249	23,400.00	2,92,26,600.00	29,22,660.00
3.	आश्रम मठ भूखण्ड E-10, E-15	02	1.20/40%	1271	23,400.00	2,97,41,400.00	29,74,140.00
4.	आश्रम मठ भूखण्ड E-32	01	1.20/40%	601	23,400.00	1,40,63,400.00	14,06,340.00
5.	आश्रम मठ भूखण्ड D-51	01	1.20/40%	499.50	23,400.00	1,16,88,300.00	11,68,830.00
6.	आश्रम मठ भूखण्ड D-51A, D-07A & D- 63A	03	1.20/40%	472	23,400.00	1,10,44,800.00	11,04,480.00
7.	आश्रम मठ भूखण्ड E-25	01	1.20/40%	845	23,400.00	1,97,73,000.00	19,77,300.00
8.	गुप हाउसिंग भूखण्ड G.H.-5	01	2.50/35%	4047	32,650.00	13,21,34,550.00	1,32,13,455.00
9.	व्यवसायिक भूखण्ड CS-S3-1,10 11, 20, 21, & 30	06	1.50/50%	93	50,600.00	47,05,800.00	4,70,580.00

10.	व्यवसायिक भूखण्ड CS-S1-2 to 09, 12 to 19, 22 to 29, & 31 to 40	34	1.50/50%	93	50,600.00	47,05,800.00	4,70,580.00
11.	व्यवसायिक भूखण्ड SS-S1-3, SS-S1-4 & SS-S1-6	03	1.75/40%	980.50	50,600.00	4,96,13,300.00	49,61,330.00
12.	व्यवसायिक भूखण्ड SS-S1-5	01	1.75/40%	925	50,600.00	4,68,05,000.00	46,80,500.00
13.	H-1 स्टार होटल	01	2.50/40%	5594	30,400.00	17,00,57,600.00	1,70,05,760.00
(B)	राधापुरम आवासीय योजना में 'नीलागी' पद्धति से आवासीय भूखण्डों का आवंटन						
1.	C-78	01	-	120	17,000.00	20,40,000.00	2,04,400.00
2.	C-89	01	-	117	17,000.00	19,89,000.00	1,98,900.00
3.	C-92	01	-	117.375	17,000.00	19,95,375.00	1,99,538.00
4.	C-93	01	-	117.375	17,000.00	19,95,375.00	1,99,538.00
5.	C-113	01	-	206.80	17,000.00	35,15,600.00	3,51,560.00
6.	D-18	01	-	54.90	17,000.00	9,33,300.00	93,330.00
7.	D-22	01	-	46.91	17,000.00	7,97,470.00	79,747.00
8.	03-B	01	-	84.56	17,000.00	14,37,520.00	1,43,752.00
(C)	चैतन्य विहार (द्वितीय चरण) आवासीय योजना वृन्दावन में 'नीलागी' पद्धति से दुकान का आवंटन						
1.	S-4/516A	01	-	49.29	16,500.00	8,13,285.00	81,329.00
2.	दुकान क्योस्क नं०-1	01	-	7.68	33,000.00	2,53,440.00	25,344.00
3.	दुकान क्योस्क नं०-2	01	-	12.58	33,000.00	4,15,140.00	41,514.00
(D)	कदम्ब विहार (रांची बांगर) आवासीय योजना मथुरा में 'नीलागी' पद्धति से आवासीय भूखण्डों का आवंटन						
1.	22-C	01	-	79.08	16,000.00	12,65,280.00	1,26,528.00
2.	22-D	01	-	100.70	16,000.00	16,11,200.00	1,16,120.00

3.	59-C	01	-	105.44	16,000.00	16,87,040.00	1,68,704.00
4.	59-D	01	-	135.95	16,000.00	21,75,200.00	2,17,520.00
(E)	कैलाश नगर आवासीय योजना वृन्दावन में 'नीलाभी' पद्धति से दुकान का आवंटन						
1.	दुकान (एक मंजिला)	09	-	5.48 से 11.21 तक	-	2,68,050.00 से 5,96,300.00 तक	59,630.00 प्रति दुकान

नोट :- उपरोक्त तालिका में अन्य वर्ग हेतु 10 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग हेतु 05 प्रतिशत धरोहर/पंजीकरण धनराशि आवेदन पत्र के साथ देय होगी ।